भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व-सैनिक कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 53

20 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी

पूर्व सैनिकों (ईएसएम) और उनके आश्रितों के कैंसर का इलाज

53. डा. भीम सिंहः

क्या ***रक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों (ईएसएम) और उनके आश्रितों को कैंसर के इलाज के लिए प्रति वर्ष अधिकतम केवल 75,000 रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यदि हाँ, तो कैंसर के इलाज के भारी खर्च को देखते हुए, क्या इस अत्यंत कम राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या वित्तीय सहायता की इस कम राशि के कारण, आर्थिक रूप से कमजोर भूतपूर्व सैनिकों को बीच में ही अपना कैंसर का इलाज रोकने जैसी गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या सरकार उनके लिए शत प्रतिशत कैशलेस (नकद-रहित) उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) तथा (ख) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है। यह योजना सशस्त्र सेनाओं की मौजूदा चिकित्सा अवसंरचना का उपयोग करके इस लक्ष्य को हासिल करती है, जिसमें देशभर के निजी पैनलबद्ध और सरकारी अस्पतालों का सहयोग प्राप्त होता है, जिससे लगभग 64 लाख, जिसमें उनके आश्रित भी शामिल हैं, के कुल लाभार्थी आधार की चिकित्सा आवश्यकताएं पूरी होती हैं। वर्ष 2019 में ईसीएचएस के अंतर्गत कवरेज का विस्तार किया गया था ताकि अधिकतर गैर-पेंशनभोगियों, जिनमें समय-पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक और उनके पति/पत्नी शामिल हैं, को उसमें शामिल किया जा सके। ईसीएचएस में नामांकित गैर-पेंशनभोगियों को ईसीएचएस

पैनलबद्ध चिकित्सा सुविधा-केंद्रों से प्रतिपूर्ति आधार पर कैंसर सहित सभी रोगों के लिए उपचार प्राप्त करने की अनुमति होती है।

वर्ष 2006 से, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की एक योजना के अंतर्गत गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को कैंसर की चिकित्सा के लिए प्रति वर्ष रु.75,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो ईसीएचएस अथवा किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, इस योजना के अंतर्गत गैर-पेंशनभोगियों द्वारा भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी सहायता का लाभ अत्यंत सीमित संख्या में लिया जा रहा है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 53
TO BE ANSWERED ON 20TH JULY, 2026

CANCER TREATMENT OF NON-PENSIONER ESM OF ALL RANKS AND THEIR DEPENDANTS

53. DR. BHIM SINGH:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that non-pensioner Ex-Servicemen (ESM) of all ranks and their dependants are provided financial assistance of only up to ₹75,000 per annum for cancer treatment, if so, whether, in view of the exorbitant cost of cancer treatment, there is any proposal to enhance this grossly inadequate amount; and

(b) whether, due to this inadequate amount of financial assistance, economically weaker Ex-Servicemen are facing serious hardships such as being compelled to discontinue their cancer treatment midway, and whether Government proposes to ensure 100 per cent cashless treatment for them?

ANSWER

MINISTER OF STATE (SHRI SANJAY SETH)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a) and (b) The Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) provides quality medical care to Ex-Servicemen (ESM) and their dependents. The Scheme achieves this by utilizing the existing medical infrastructure of the Armed Forces, supplemented by private empanelled and government hospitals across the country for catering to a total beneficiary base of approximately 64 lakhs, including their dependents. The coverage under ECHS was widened in 2019 to include most non-pensioners, including pre-mature retirees and their spouses. Non-pensioners who are enrolled with the ECHS are allowed to take treatment from ECHS empanelled medical facilities on reimbursement basis for all ailments including cancer.

Since 2006, Kendriya Sainik Board (KSB) has a scheme for providing financial assistance of upto Rs 75,000 per annum for cancer treatment to non-pensioner ESM and their dependents who are not covered by ECHS or any other Government Scheme. Based on data received from KSB Sectt, only very few non-pensioner ESM are seeking welfare support under this scheme.

*****